

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से
भी डाउन लोड किया जा सकता है।



मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 51]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 19 दिसम्बर 2014—अग्रहायण 28, शक 1936

भाग २

स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं

कार्यालय, कलेक्टर, (पंचायत) दमोह मध्यप्रदेश

दमोह, दिनांक 9 सितम्बर 2014

क्र. 3437.—मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण) क्रमांक 489, भोपाल दिनांक 14 नवम्बर 2011 में प्रकाशित अधिसूचना द्वारा दमोह जिले की पटेरा ग्राम पंचायत के पटेरा ग्राम के क्षेत्र को नगरीय क्षेत्र में शामिल किए जाने की अधिसूचना जारी की गई है, उल्लेखनीय है कि दिनांक 14 नवम्बर 2011 को प्रकाशित अधिसूचना एवं दिनांक 12 मार्च 2014 को प्रकाशित जाहिर सूचना के क्रम में प्राप्त दाबे/आपत्तियों का निराकरण पश्चात् मध्यप्रदेश नगरपालिक अधिनियम 1956/नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 5(1) (ख) के तहत् राज्यपाल द्वारा नगरीय क्षेत्र में सम्मिलित किये जाने संबंधी अधिसूचना जारी की गई है। उक्त अधिसूचना के क्रम में मध्यप्रदेश पंचायतराज एवं ग्रामस्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 126 के तहत मैं स्वतंत्र कुमार सिंह, कलेक्टर जिला दमोह निम्न ग्राम पंचायत एवं उनमें सम्मिलित ग्रामों को दमोह जिले के ग्रामीण क्षेत्रों से विस्थापित किये जाने की अधिसूचना अनुसूची में प्रकाशित करता हूँ:—

अनुसूची

अनुक्रमांक	विस्थापित की जाने वाली ग्राम पंचायत	विस्थापित किये जाने वाले ग्राम	तहसील	विस्थापित किये जाने वाले क्षेत्र
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	पटेरा	पटेरा	पटेरा	ग्राम पंचायत पटेरा का संपूर्ण क्षेत्र

स्वतंत्र कुमार सिंह, कलेक्टर,

कार्यालय, कलेक्टर, (पंचायत) जिला होशंगाबाद मध्यप्रदेश

होशंगाबाद, दिनांक 15 सितम्बर 2014

क्र. 7184-पंचा.-प्रका.-2014.—मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण) क्रमांक 272, भोपाल दिनांक 5 जुलाई 2014 में प्रकाशित अधिसूचना द्वारा होशंगाबाद जिले की पांच ग्राम पंचायतों के नौ ग्राम के क्षेत्रों को नगरीय क्षेत्रों में शामिल किए जाने की अधिसूचना जारी की गई है, उल्लेखनीय है कि दिनांक 5 जुलाई 2014 को प्रकाशित अधिसूचना एवं दिनांक 19 अगस्त 2014 को प्रकाशित जाहिर सूचना के क्रम में प्राप्त दावे/आपत्तियों का निराकरण पश्चात् मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 5(1) (ख) के तहत् राज्यपाल द्वारा नगरीय क्षेत्रों में सम्मिलित किये जाने संबंधी अधिसूचना जारी की गई है। उक्त अधिसूचना के क्रम में मध्यप्रदेश पंचायतराज एवं ग्रामस्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 126 के तहत मैं संकेत भोंडवे, कलेक्टर जिला होशंगाबाद निम्न ग्राम पंचायतों एवं उनमें सम्मिलित ग्रामों को होशंगाबाद जिले के ग्रामीण क्षेत्रों से विस्थापित किये जाने की अधिसूचना अनुसूची में प्रकाशित करता हूँ:—

अनुसूची

अनुक्रमांक	विस्थापित की जाने वाली ग्राम पंचायत	विस्थापित किये जाने वाले ग्राम	तहसील	विस्थापित किये जाने वाले क्षेत्र
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	बनखेड़ी	बनखेड़ी, ठैनी, चिल्लौद	बनखेड़ी	बनखेड़ी, ठैनी, चिल्लौद
2	दहलवाड़ाकला	दहलवाड़ाकला	बनखेड़ी	दहलवाड़ाकला
3	रहटवाड़ा	रहटवाड़ा	बनखेड़ी	रहटवाड़ा
4	कलकुही	कलकुही, अंधियारवाड़ी केमढाना	बनखेड़ी	कलकुही, अंधियारवाड़ी केमढाना
5	गरधा (आंशिक)	बंदरझीला	बनखेड़ी	बंदरझीला

संकेत भोंडवे, कलेक्टर.